भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4303

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4303. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश, विशेष रूप से गुजरात में सरकार के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला/मंडल अस्पतालों (एसडीएच), जिला अस्पतालों (डीएच) और केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन चिकित्सा प्रतिष्ठानों और केंद्र सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा प्रतिष्ठानों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) इन चिकित्सा प्रतिष्ठानों और केंद्र सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा प्रतिष्ठानों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल कितनी रिक्तियां हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में चिकित्सा पेशेवरों की संख्या और गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-जिला/मंडलीय अस्पतालों (एसडीएच), जिला अस्पतालों (डीएच) की कुल संख्या तथा इन प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/पेशेवरों के पदों की स्थिति और रिक्तियों के बारे में विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों की कुल संख्या तथा इन चिकित्सा प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों/पेशेवरों की वर्तमान भरे हुए पदों की स्थिति और रिक्तियों का विवरण **अनुलग्नक-I और II** में दिया गया है।

(घ): देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 में 387 से बढ़कर वर्तमान में 780 हो गई है, जो 102% की वृद्धि है। एमबीबीएस सीटों में भी 130% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 में 51,348 से बढ़कर वर्तमान में 1,18,137 हो गई है और पीजी सीटों में भी 135% की वृद्धि हुई है, जो 2014 में 31,185 से बढ़कर वर्तमान में 73,157 हो गई है।

देश में डॉक्टरों/चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों/कदमों में शामिल हैं:-

- जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जिसके तहत 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।
- एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मजबूत/उन्नयन करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण करके सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है।
- संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।
- मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गुजरात राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत किया जा सके। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है। विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

एनएचएम के तहत देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और आवासीय क्वार्टर उपलब्ध कराना ।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- चिकित्सकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलापों के संचालन के लिए बढ़ावा जैसे प्रोत्साहन देना।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "आप कोट करें, हम अदा करेंगे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन सहित परक्राम्य वेतन की पेशकश अनुमेय है।
- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वरीयता प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत चिकित्सकों के बहु-कौशल का समर्थन किया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक और प्रमुख कार्यनीति है।

***

अनुलग्नक-I

श्री हरिभाई पटेल, माननीय सांसद (लोकसभा) द्वारा दिनांक 20.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4303 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक-I

केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मचारी

क्र. सं.	संस्थान का नाम	स्वीकृत	पदस्थ	रिक्त
1.	सफदरजंग अस्पताल	7507	5454	2053
2.	आरएमएल अस्पताल	3921	2994	927
3.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	1630	1258	372
4.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र (आरएचटीसी)	204	98	106
5.	क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस), इम्फाल	1455	865	590
6.	निग्रिम्स, शिलांग	1511	1077	434

अनुलग्नक-II

श्री हरिभाई पटेल, माननीय सांसद (लोकसभा) द्वारा दिनांक 20.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4303 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक-II

एम्स में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी

क्र. सं.	एम्स का नाम और राज्य	संकाय पद (डॉक्टर)			गैर-संकाय पद (नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता सहित)		
		स्वीकृत	पदस्थ	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थ	रिक्त
1.	नई दिल्ली(एम्स)	1235	810	425	14343	12101	2242
2.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	305	231	74	3884	2861	1023
3.	भुवनेश्वर (ओडिशा)	315	241	74	3904	2808	1096
4.	जोधपुर (राजस्थान)	305	221	84	3884	3147	737
5.	रायपुर (छत्तीसगढ़)	305	178	118	3884	2713	1171
6.	पटना (बिहार)	305	225	80	3884	2550	1334
7.	ऋषिकेश (उत्तराखंड)	305	217	88	3884	2701	1183
8.	मंगलगिरि (आंध्र प्रदेश)	259	152	107	1469	1060	409
9.	नागपुर (महाराष्ट्र)	298	224	74	1459	1059	400
10.	कल्याणी (पश्चिम बंगाल)	259	157	102	1527	910	617
11.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	183	122	61	1346	921	425
12.	बठिंडा (पंजाब)	209	140	69	1624	1128	496
13.	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	217	106	111	1511	918	593
14.	गुवाहाटी (असम)	183	105	78	1410	642	948
15.	देवघर (झारखंड)	183	120	63	1364	822	542
16.	बीबीनगर (तेलंगाना)	183	114	69	1374	876	498
17.	रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	201	106	95	1425	905	520
18.	राजकोट (गुजरात)	183	67	116	1247	550	697
19.	मदुरै (तमिलनाडु)	183	51	132	911	42	869
20	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	183	106	77	1267	737	530

*****